कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

<u>प्रेस नोट</u>

दिनांक 26.09.2021

थाना चेतगंज पुलिस द्वारा झुन्ना पंडित का आदमी बताकर 50 लाख रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त अरुण कुमार उर्फ लालू गिरफ्तार

आज दिनांक 26.09.2021 को थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी व घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे मुखबिर की सूचना पर अन्धरापुल प्राईवेट बस अड्डे के पास से मु0अ0सं0 178/21 धारा 384 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ लालू पुत्र स्व0 विजय कुमार निवासी सी0के0 66/58 बेनियाबाग, बड़ी पियरी, थाना चौकी वाराणसी को समय 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरण-</u> दिनांक 13.09.21 को श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 बाबूधन प्रसाद नि सी 28/142-1 तेलियावाग थाना चेतगंज, वाराणसी द्वारा जरिये मोबाइल अज्ञात व्यक्ति द्वारा खुद को गोकुल यादव तथा झुन्ना पंडित का आदमी बताते हुए 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने के संबंध में लिखित तहरीर दिया गया, जिसके आधार पर थाना चेतगंज में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u> - पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं पहले (शुभमंगल ज्वैलर्स) संजय कुमार पुत्र स्व0 बाबुधन प्रसाद नि सी 28/142-1 तेलियावाग थाना चेतगंज, वाराणसी की दुकान पर काम करता था। छः सात महीना पहले मैं वहां से काम छोड़ दिया तथा उसी दुकान के नीचे राहुल अग्रवाल की दुकान पर काम करता हूँ। मैं पहले से यह जानता था कि संजय कुमार व उसका पुत्र दोनों डरपोक आदमी है व बड़े व्यापारी हैं दिनांक 11.09.21 को मैं जिला कारागार के बगल में हुकुलगंज रोड पर कुड़ादान के पास से समय करीब 21.48 बजे जो संजय कुमार के पुत्र पामुल कुमार उर्फ विपुल के मोबाइल पर एक नम्बर 9532469836 से उसको डराने के लिये झुन्ना पंडित का नाम लेकर गोकुल यादव बनकर पचास लाख रूपये की रंगदारी मांगा था और दूसरे दिन जब मैनें इस घटना के सम्बन्ध में पेपर में देखा कि थाना चेतगंज पर मुकदमा लिख गया है तो मैनें जिस नम्बर से रंगदारी मांगी थी उसको तोड़कर अपने घर के पास ही सीवर नाले में मोबाईल व सिम दोनों फेंक दिया।मैनें दो फर्जी सिम नं0 लिया था जिसमें से एक नम्बर का प्रयोग रंगदारी मांगने के लिये किया था तथा दूसरा नं0 जिसका अभी प्रयोग नहीं किया था। जिसका नम्बर 9473585956 है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-</u>

अरूण कुमार उर्फ लालू पुत्र स्व0 विजय कुमार निवासी सी0के0 66/58 बेनियाबाग, बड़ी पियरी, थाना चौक वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>बरामदगी-</u> सेलकान कीपैड मोबाईल व ओपो रेनो 2 Z मोबाईल फोन।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

मु0अ0सं0 52/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सारनाथ वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. उ0नि0 सुनील कुमार गौड़ थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 जगदीश राम थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी
3. का0 सतीश कुमार यादव थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी
4. का0 सचिन सिंह थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 मुकेश कुमार यादव थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी